राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(4)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक : 29.07.2020

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 1195
दिनांक 30/7/2020

आदेश

श्री रामानन्द शर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द के विरूद्व एसीबी प्रकरण संख्या 96/2008 में मा0 विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम–1, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2019 द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2019–20 की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री रामानन्द शर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2019–20 की दिनांक 01.04.2019 की रिक्ति के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री रामेश्वर लाल/चुन्नी लाल (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री विजय शंकर/धन्ना लाल (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री रामानन्द शर्मा, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

30/7/2020

29/07/2020
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

D:\ SO\DPC 2017-18\Promotion Order